

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(249/88)/अलेसे -III/355

दिनांक :- 28-6-16

आदेश संख्या: 43^A/2015-16

श्री राजकुमार मोदी, (लिंक नं. 1731) कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश संख्या 9243-57 दिनांक 14.03.2013 के द्वारा दिनांक 10.03.2013 से निलम्बित किया गया था।

कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सं./अनु/3/99/दि0 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसका कार्यवाही विवरण वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा जारी किया गया है, उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार समिति द्वारा श्री राजकुमार मोदी, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राजकुमार मोदी, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर इन्हें कार्यालय उपकोष निवाई में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व लम्बित विभागीय जांच के निर्णय के अधीन किया जावेगा।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(डीजीएस)/अलेसे -III/355

दिनांक :- 28-6-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपकोषाधिकारी, फागी जयपुर।
3. उपकोष निवाई।
4. श्री राजकुमार मोदी, (लिंक नं. 1731) कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय उपकोषाधिकारी फागी, जयपुर।
5. एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-II कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)
संयुक्त निदेशक (कोष एवं लेखा)
राजस्थान